न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-117/2005

1- हनुमानसिंह पुत्र मोतीसिंह
2- चैनसिंह उर्फ चतरसिंह पुत्र भूरसिंह
जाति राजपूत निवासी बनगोठडी कंला तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू ।

---अपीलान्टस्---

---बनाम---

1- रतनसिंह पुत्र डालूसिंह जाति राजपूत
2- रणजीतसिंह पुत्र डालूसिंह
3- बगडावतसिंह पुत्र डालूसिंह
4- रणवीरसिंह उर्फ रघुवीरसिंह पुत्र डालूसिंह
जाति राजपूत निवासी बनगोडडी कंला तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू (राज0)

5- राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू ।

---रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 25-11-2005 द्वारा
उप खण्ड अधिकारी चिडावा ।

---0---

उपस्थिति-

1- श्री विजयपाल एडवोकेट- अपीलान्ट

2- श्री हजारीलाल सूनिया एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 29.12.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने अदालत मातहत में दावा बाबत घोषणार्थ बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 141 से 145, 147, 172, 181, 591/141, 592/192 कुल किता-10 रकबा 9.13 हैक्टर ग्राम बनगोठडी कंला वादी एवं प्रतिवादी सं0-1 से 3 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है जिसमें प्रत्येक का 1/4, 1/4 हक हिस्सा है जिसका विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है ।

केवल सुविधा के अनुसार ही मौके पर काश्त करते आ रहे हैं । उक्त आराजी पैत्रिक है जो उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है ।वादी अकसर बीमार रहता है जिसके कारण प्रतिवादी सं0-1 से 5 वादी की 1/4 हिस्से की आराजी को हडपना चाहते है। जिसके चलते दिनांक 25-7-2003 को वादी को ख0नं0 143 रकबा 0.80 हैक्टर, ख0नं0 144 रकबा 0.73 हैक्टर, ख0नं0 145 की 0.56 हैक्टर, ख0नं0 147 के उत्तरी हिस्से की 0.20 हैक्टर भूमि पर काश्त करने से मना किया तथा काश्त करने पर जान से मारने की धमकी दी । जिस पर यह दावा पेश किया गया । जिस पर अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादी का दावा स्वीकार कर तहसीलदार चिडावा को वादी एवं प्रतिवादी सं0-1 से 3 को उक्त आराजी के 1/4, 1/4 हिस्से का भौतिक बंटवारा कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाये जाने का आदेश दिया । इस आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने तनकी संख्या-1 का निर्णय रेस्पोडेन्ट संख्या-1 के पक्ष में कर कानूनी भूल की है। आराजी ख0नं0 144, 145 के बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या-1 को खातेदार मानने में कानूनी भूल की है ।रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने ख0नं0 144 व 145 पर अपीलान्ट का कब्जा माना है ।कानूनन बिना कब्जे के घोषणा का अनुतोष नहीं दिया जा सकता । रेस्पोडेन्ट संख्या-2 से 4 की ओर से कोई दावा पेश नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में तनकी संख्या-1 का निर्णय रेस्पोडेन्ट के सं0 -1 के पक्ष में करने में कानूनी भूल की है । अदालत मातहत ने साक्ष्य का अवलोकन किये बिना अपना निर्णय पारित किया है । साथ ही तनकी संख्या-1 व 3 का निर्णय एक साथ करने में कानूनी भूल की है ।विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि बिना कब्जे के स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता ।रेस्पोडेन्ट सं0-1 ने अपनी जिरह में ख0नं0 144 व 145 पर अपीलान्ट का कब्जा स्वीकार किया है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अपीलान्ट ने भी अपनी साक्ष्य में ख0नं0 144 व 145 पर अपना कब्जा साबित किया है जिसका खण्डन रेस्पोडेन्ट संख्या-1 द्वारा नहीं किया गया है ।

अदालत मातहत ने मौखिक साक्ष्य का अवलोकन न कर अपना निर्णय पारित किया है । साथ ही वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या-1 का दावा मियाद के बाहर पेश किया है जिसमें स्थायी निषेधाज्ञा के लिये मियाद 3 वर्ष है । रेस्पोडेन्ट की ओर से बेदखली की सिद्धि भी नहीं चाही है । इस प्रकार अदालत मातहत ने साक्ष्य का सही रूप से अवलोकन किये बिना तनकीयों का निर्णय संयुक्त रूप से पारित कर कानूनी भूल की है ।अत: अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0-2056 से 2059 में ख0नं0 141 से 145, 147, 172, 181, 591/141, 592/192 कुल किता-10 रकबा 9.13 हैक्टर की खातेदारी डालूसिंह पि0 रामनाथ के नाम दर्ज है ।प्रदर्श-1 मिलान क्षेत्रफल एवं प्रदर्श-पी-6 नक्शा का अवलोकन किया गया । प्रदर्श-2 जमाबन्दी सं0-2027 से 2030 में ख0नं0 95 व 129 ~~0000~~ कुल किता-2 रकबा 28 बीघा 15 बिस्वा की खातेदारी डालूसिंह पि0 रामनाथसिंह के नाम दर्ज है ।ख0नं0 53,59~~88~~,94, 131 कुल किता-4 रकबा 56 बीघा 12 बिस्वा में 1/3 हिस्सा की खातेदारी डालूसिंह पि0 रामनाथसिंह तथा ख0नं0 116 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा की 2/9 हिस्सा रिशालसिंह, डालूसिंह पि0 रामनाथसिंह की खातेदारी में दर्ज है । प्रदर्श-3 में विवादित आराजी डालू सिंह पि0 रामनाथसिंह के नाम दर्ज है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है विवादित आराजी पैत्रिक भूमि है जो अभी राजस्व रेकार्ड में रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 4 के पिता की खातेदारी में ही दर्ज है । रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 4 डालूसिंह के पुत्र है जिसका कोई विवाद नहीं है । इस आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा हो ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं । रेस्पोडेन्ट संख्या-1/वादी ने विवादित आराजी में अपने हिस्से की घोषणा के साथ बंटवारा की सहायता एवं

स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है । राजस्व रेकार्ड में स्पष्टतया विवादित आराजी डालूसिंह की खातेदारी में दर्ज है जिसके चार पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 4 है जिसका कोई विवाद नहीं है । जिसमें उक्त डालूसिंह के चारों पुत्रों का विवादित आराजी में डालूसिंह के हिस्से मे प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा बनता है । जिसकी घोषणा की जाकर अदालत मातहत ने तहसीलदार को मौके के विभाजन प्रस्ताव भिजवाये जाने के आदेश दिये है । अदालत मातहत का यह आदेश तनकीवार्इज विधि पूर्ण है जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और संयुक्त कब्जा काश्त की आराजी में प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जावेगा चाहे उसका कब्जा है अथवा नहीं यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है । अदालत मातहत ने अपना निर्णय विधिनुसार उचित एवं विधिक दिया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी चिडावा का निर्णय एवं डिक्री दि0 25-11-05 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 29.12.2017 को सुनाया गया ।

29/12/17

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर